

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1- 11

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57]

नई दिल्ली, बुधवार, चैत्र 2, 1970/चैत्र 12, 1892

No. 57]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 1970/CHAITRA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

*New Delhi, the 2nd April 1970*

No. F. 4(5)-W&M/70.—In pursuance of the provisions of Section 6 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Government of India hereby notifies the issues of the 4½ per cent. Banks (Acquisition and Transfer) Compensation Bonds, 1970 and the 5½ per cent. Banks (Acquisition and Transfer) Compensation Bonds, 1999 for payment of compensation to the existing banks as set out in the Second Schedule to the said Act.

2. Amount of Issue.—The total amount of the issue of each of the two loans mentioned above will be determined by the Government of India on the basis of the options exercised or deemed to have been exercised by the existing banks in terms of sub-section (4) sub-section (5) or sub-section (6) of Section 6 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and after taking into account, the adjustments, if any, to be made in terms of sub-section (8) or sub-section (9) of Section 6 of that Act.

4½ per cent Banks (Acquisition and Transfer) Compensation Bonds, 1979: Issued at Rs. 100.00 per cent and Redeemable at par on the 19th July, 1979

3. *Date of Issue.*—The loan will be issued retrospectively from the 19th July, 1969.

4. *Date of Repayment.*—The loan will be repaid at par on the 19th July, 1979.

5. *Issue Price.*—Issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100 (Nominal).

6. *Interest.*—The loan will bear interest at the rate of 4½ per cent per annum with retrospective effect from the 19th July, 1969. The first payment of interest will be made on the 19th July, 1970. Interest will be paid thereafter half-yearly on the 19th of January and 19th of July and will be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5½ per cent Banks (Acquisition and Transfer) Compensation Bonds, 1999: Issued at Rs. 100.00 per cent and Redeemable at Par on the 19th July, 1999

7. *Date of Issue.*—The loan will be issued retrospectively from the 19th July, 1969.

8. *Date of Repayment.*—The loan will be repaid at par on the 19th July, 1999.

9. *Issue Price.*—Issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100 (Nominal).

10. *Interest.*—The loan will bear interest at the rate of 5½ per cent per annum with retrospective effect from the 19th July, 1969. The first payment of interest will be made on the 19th July, 1970. Interest will be paid thereafter half-yearly on the 19th of January and 19th of July and will be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

11. *Refund of tax deducted at source or non-deduction of tax.*—Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loans, who are not liable to tax or who are liable to tax at a rate lower than the rate at which tax was deducted. A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application, a certificate from the income-tax officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

12. *Place of payment of interest.*—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or sub-treasury elsewhere in India, except in the State of Jammu and Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar

13. *Form of the securities in which loans are to be issued.*—In the absence of any option or preference by an existing bank in favour of promissory notes, the loans will be issued in the form of stock certificates payable to that Bank. Where any such option or preference has been intimated in writing to the Reserve Bank of India, the loans will be issued to the extent of the option or preference in the form of promissory notes.

14. Any further information or details may be obtained from the Reserve Bank of India, Department of Accounts and Expenditure, Central Debt Section, Bombay.

1109

3-11-71

By Order of the President.

Processed

Checked

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

Date of Transfer

## वित्त मंत्रालय

## (अर्थ विभाग)

## अधिसूचना

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल, 1970

सं० एफ० 4 (5) डब्ल्यू० एण्ड एम०/70.—बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 के पांचवें अधिनियम) की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार, भारत सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि वर्तमान बैंकों को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति की अदायगी करने के लिए  $4\frac{1}{2}$  प्रतिशत ब्याज वाले बैंक (अभिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड, 1979 और  $5\frac{1}{2}$  प्रतिशत ब्याज वाले बैंक (अभिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड, 1999 जारी किये जायेंगे।

2. निर्गम की रकम.—उपर्युक्त दोनों ऋणों में से प्रत्येक ऋण की कुल रकम का निर्धारण, भारत सरकार, बैंकिंग समवाय (उपक्रम अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 6 की उपधारा (4), उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार वर्तमान बैंकों द्वारा दिये विकल्पों या दिये मान लिये गये विकल्पों के आधार पर और उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (8) या उपधारा (9) के अनुसार यदि कोई समायोजन किया जाता हो तो उसे हिसाब में लेने के बाद, करेगी।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किये जाने वाले और 19 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुकाये जाने वाले  $4\frac{1}{2}$  प्रतिशत ब्याज वाले बैंक (अभिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड 1979

3. निर्गम की तारीख.—यह ऋण पिछली तारीख से अर्थात् 19 जुलाई, 1969 से जारी किया जायगा।

4. शोधन की तारीख.—यह ऋण 19 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायगा।

5. निर्गम-मूल्य.—निर्गम-मूल्य प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये सौ रुपये होगा।

6. ब्याज.—इस ऋण पर 19 जुलाई, 1969 से  $4\frac{1}{2}$  प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा। ब्याज की पहली अदायगी 19 जुलाई, 1970 को की जायगी। इसके बाद ब्याज छः छः महीने के बाद, अर्थात् 19 जनवरी और 19 जुलाई को अदा किया जायगा और इस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर लगेगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किये जाने वाले और 19 जुलाई, 1999 को सम-मूल्य पर चुकाये जाने वाले  $5\frac{1}{2}$  प्रतिशत ब्याज वाले बैंक (अभिग्रहण और अन्तरण) क्षतिपूर्ति बाण्ड, 1999

7. निर्गम की तारीख.—यह ऋण पिछली तारीख से अर्थात् 19 जुलाई, 1969 से जारी किया जायगा।

8. शोधन की तारीख.—यह ऋण 19 जुलाई, 1999 को सम-मूल्य पर चुका दिया जायगा।

9. निर्गम-मूल्य.—निर्गम-मूल्य प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिए सौ रुपये होगा।

10. ब्याज.—इस ऋण पर 19 जुलाई, 1969 से  $5\frac{1}{2}$  प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जायगा। ब्याज की पहली अदायगी 19 जुलाई, 1970 को की जायगी। इसके बाद ब्याज छः छः महीने के बाद, अर्थात् 19 जनवरी और 19 जुलाई को अदा किया जायगा और इस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर लगेगा।

11. ख़ोत पर काटे जाने वाले कर की वापसी या कर की कटौती न करना.—व्याज की अदायगी के समय वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार काटी गयी कर की रकम, ऋण देने वाले वे व्यक्ति, जिनपर कर न लगता हो, पूर्णतः और वे व्यक्ति, जिनपर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया हो, अंशतः वापस ले सकेंगे। ऋण देने वाला वह व्यक्ति, जिस पर कर न लगता हो या जिसपर निर्धारित दर से कम दर पर कर लगता हो, अपने जिले के आयकर-अधिकारी को आबेदन-पत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिसके अनुसार उसे कर काटे बिना, या उस कम दर से कर काटने के बाद, जो उसपर लागू होती हो, व्याज मिल सकता है।

12. व्याज की अदायगी का स्थान.—इस ऋण का व्याज भारतीय रिजर्व बैंक के बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में; जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर, भारत के अन्य स्थानों में किसी राजकोष या उप-राजकोष में तथा केन्द्रीय सरकार के, जम्मू और श्रीनगर में स्थित नेतम और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायगा।

13. उम्र प्रतिभूतियों का रूप जिनमें ऋण जारी किये जाते हैं.—यदि कोई वर्तमान बैंक वचन-पत्रों के लिए अपनी पसन्द या तरजीह नहीं सूचित करेगा तो ये ऋण, उस बैंक को चेय, स्टाक सर्टिफिकेटों के रूप में जारी किये जायेंगे। पर यदि भारतीय रिजर्व बैंक को वचन-पत्रों के लिए अपनी पसन्द या तरजीह लिखित रूप में सूचित कर दी जायगी तो ये ऋण सूचित पसन्द या तरजीह की सीमा तक वचन-पत्रों के रूप में जारी किये जायेंगे।

14. इस सम्बन्ध में और जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक, लेखा और व्यय विभाग, केन्द्रीय ऋण अनुभाग, बम्बई से प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रपति के आदेश से,

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव।